दिनांक 26.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 37/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत करीब 05 करोड़ 25 लाख रूपये के चेक प्रदान किये गये

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 26.09.2025 को विभिन्न जनपदों में अलग–अलग तिथियों में मृत पुलिस कर्मियों के शोक संतप्त आश्रित परिजनों को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का चेक प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से किये गये एमओयू के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मियों को पुलिस सेलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के रूप में चेक प्रदान किये जाते हैं, इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को करीब 05 करोड़ 25 लाख रूपये के चेक प्रदान किये गये, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

- आरक्षी विकास चन्द्र पाण्डेय जीआरपी वाराणसी में नियुक्त थे, रात्रि में डियूटी के दौरान मालगाड़ी से कुचल जाने के कारण दिनांकः 29.10.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.85 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी शिवम जनपद पीलीभीत में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान ट्रक द्वारा मोटर साइकिल में टक्कर मारने के कारण दिनांकः 02.06.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनो को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी गरी कस्टन सिंह जनपद अयोध्या में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी मोटर साइकिल में कार द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 12.11.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।

इस अवसर पर श्री प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, श्री शलभ माथुर पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक/पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के जीएसओ, श्री आर0के0 भारद्वाज, पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबन्धक श्री कमलेश राठौर, शाखा प्रबन्धक श्री शिशिकांत सिंह उपस्थित रहे।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
D D M M Y Y Y Y
Pay बिकास चंद्र पाण्डेय (कांस्टेबल) वाराणसी
Or Bearer
Rupees रुपये एक करोड़ पच्चासी लाख मात्र
₹ 1,85,00,000/-
XXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
D D M M Y Y Y Y
Pay शिवम (कांस्टेबल) पीलीभीत
Or Bearer
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
XXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
X X X X X X X X
D D M M Y Y Y Y
Pay गटी कस्टन सिंह (कांस्टेबल) अयोध्या
Or Bearer
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
XXXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above
II"0000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

दिनांक 26.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः जनपद चंदौली से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 50,000/– का पुरस्कार का घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25–09–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद चंदौली से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– अरमान पुत्र बरकत अली निवासी जुरई पुरवा थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

प्रधान ढाबा के पास, रामनगर भीटी बाईपास थाना क्षेत्र रामनगर जनपद वाराणसी, दिनांक 25–09–2025 समय करीब 20:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद चंदौली में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैय्यदराजा, चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 220/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरमान रामनगर भीटी बाईपास पर मौजूद है। प्राप्त सूचना पर निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह व मुख्य आरक्षी गौरव सिंह की टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अरमान को उपरोक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि इसका एक गिरोह है, जो यू0पी0, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से गोवंशीय पशुओं की असम, पश्चिम बंगाल आदि

राज्यों में तस्करी करता है। इसके पूर्व में यह मार्च–2023 में गोवंशीय पषुओं की तस्करी में थाना सैय्यदराजा चंदौली से गिरफ्तार हुआ था। अक्टूबर–2023 में थाना सैय्यदराजा चंदौली में गैगेस्टर का अभियोग पंजीकृत होने पर हरियाणा, मुंबई, दिल्ली तथा अहमदाबाद में छिप कर रह रहा था। अभियुक्त के विरुद्व माननीय न्यायालय से NBW तथा 82/83 CrPC के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्व जनपद अमेठी एवं चंदौली में 5 अभियोग दर्ज है।

<u>अरमान का अपराधिक इतिहास–</u>

1– मु0अ0सं0 557/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुसाफिरखाना अमेठी।

2– मु0अ0सं0 84/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना मुसाफिरखाना, अमेठी।

3– मु0अ0सं0 42/2023 धारा 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 429 भा0द0वि0 थाना सैय्यदराजा, जनपद चंदौली।

4– मु0अ0सं0 220/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सैय्यदराजा, जनपद चंदौली।

5– मु0अ0सं0 156/2025 धारा 209 बीएनएस थाना सैय्यदराजा, जनपद चंदौली।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना सैय्यदराजा, चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 220/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>ए0एन0टी0एफ0: दिनांक 25.09.2025 को ए0एन0टी0एफ0 यूनिट बरेली द्वारा झारखण्ड से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे अन्तर्राज्यीय सक्रिय गिरोह के 03 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 03 किलो अवैध अफीम(अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये), 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद स्पलेण्डर मोटर साइकिल व 3,60,000/– रुपये नगद बरामद किया गया ।</u>

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0,लखनऊ के निर्देशन में ए०एन०टी०एफ० यूनिट बरेली द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय तस्कर (1)

पनेश कुमार पुत्र स्व0 नीरो महतो निवासी ग्राम बाजोबार पो0 नवाडीह डमोल थाना पथलगडा जनपद चतरा झारखण्ड (2) खैमिनी देवी पत्नी जसवन्त निवासी ग्राम गिदौर थाना गिदौर जनपद चतरा झारखण्ड (3) विवेक शर्मा पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम सिरसवां थाना बिनावर जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से 03 किलो अवैध अफीम (अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये), 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मोटर साइकिल व 3,60,000/– रुपये नगद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना–बिनावर जनपद बदायूं में मु0अ0सं0–173/2025 धारा–8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछने पर बताया कि वह सिरसवां गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि अफीम तस्करी का कार्य करता है, उसके द्वारा झारखण्ड से लाये गये माल को पंजाब में सप्लाई करता है। आज वह उसी व्यक्ति को सप्लाई करने के लिये यह अफीम लेकर आया था। इस गिरफ्तारशुदा महिला को 10,000/– रुपये में तय करके इस लिये वह साथ लेकर आया है ताकि किसी को शक न हो। वह बदायूँ के चक्कर महीने में लगभग दो बार अलग–अलग मोबाइल बदल बदल कर मारता है तथा उस व्यक्ति को अफीम सप्लाई करता है। यह अफीम वह झारखण्ड से एक लाख रुपये किलो के रेट से लाया है तथा उस व्यक्ति को यह अफीम एक लाख बीस हजार रुपये किलो बेचनी थी। उस व्यक्ति का लडका गिरफ्तारशुदा विवेक शर्मा पैसे लेकर इसे लेने आया था, तभी आपने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण–

1. पनेश कुमार पुत्र स्व0 नीरो महतो निवासी ग्राम बाजोबार पो0 नवाडीह थाना पथलगडा झारखण्ड ।
2. खैमिनी देवी पत्नी जसवन्त निवासी गिदौर थाना गिदौर जनपद चतरा झारखण्ड ।
3. विवेक शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा निवासी ग्राम सिरसवां थाना बिनावर जनपद बदायूँ

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय–</u>

दिनांक– 25.09.2025 स्थान– बरेली बदायूँ रोड पर थाना बिनावर जनपद बदायूं ।

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

1. 03 किलो अवैध अफीम(अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये)
2. 03 अदद मोबाइल फोन
3. 01 अदद स्पलेण्डर मोटर साइकिल
4. 3,60,000/– रुपये नगद ।

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट बरेली</u>

1. प्रभारी उ0नि0 श्री विकास यादव, ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
2. हे0का0 दिनेश कुमार, एएनटीएफ यूनिट बरेली
3. का0 सौरभ चौधरी, एएनटीएफ यूनिट बरेली
4. का0 अंकित यादव, ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
5. म0का0 रिजवाना, ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
6. का0 रसविन्द्र चौधरी, ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
7. का0 कुश कुमार, ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली

<u>सहयोगार्थ पुलिस टीम थाना– बिनावर जनपद बदायूँ</u>

1.उ0नि0श्री अनित कुमार थाना बिनावर जनपद बदायूँ

2 उ0नि0श्री दिनेश तिवार थाना बिनावर जनपद बदायूँ

3. हे0का0 807 कुवँर सैन थाना बिनावर जनपद बदायूँ

4.हे0का0660 प्रदीप कुमार थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

<u>टीम सर्विलांस ए.एन.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ</u>

1.एस.आई.एम राजेश मिश्रा (सर्विलांस प्रभारी) ए.एन.टी.एफ. मुख्यालय लखनऊ

2.हे0का0 अजय कुमार मय समस्त सर्विलांस टीम

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **57 हजार 910 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.09.2025 को थाना कोतवाली कन्नौज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीटी रोड हनुमान गढ़ी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सूरज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 57 हजार 910 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद कन्नौज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना को0कन्नौज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवनासी ग्राम पखरापुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–57 हजार 910 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान

- **25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 मोबाइल फोन, 02 एलईडी टीवी, 02 कम्प्यूटर, 01 कैमरा आदि बरामद**

दिनॉकः 26.09.2025 को थाना मड़िहान, थाना कोतवाली शहर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–राजवीर 2–सोनू 3–शशांक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 मोबाइल फोन, 02 एलईडी टीवी, 02 कम्प्यूटर, 01 कैमरा आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मीरजापुर से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजवीर निवासी ग्राम सिधौली थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

2–सोनू निवासी असवों दाउदपुर थाना हण्डिया, प्रयागराज।

3–शशांक निवासी पहाड़ीपुर थाना सराय इनायत, प्रयागराज।

बरामदगी

1–03 मोबाइल फोन

2– 02 एलईडी टीवी।

3– 02 कम्प्यूटर।

4–01 कैमरा आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना पूरनपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट की पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.09.2025 को थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खाण्डेपुर रोड पर सड़क के दाहिनी ओर बगिया व तालाब के पास से 03

अभियुक्तों 1–दिव्यांशु 2–इन्द्रजीत 3–अमित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिव्यांशु निवासी ग्राम कसगंजा कबीरपुर थाना घुंघचाई जनपद पीलीभीत।

2–इन्द्रजीत निवासी ग्राम कसगंजा कबीरपुर थाना घुंघचाई जनपद पीलीभीत।

3–अमित निवासी ग्राम कसगंजा कबीरपुर थाना घुंघचाई जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट की पीली धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना जैतीपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **550 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 26.09.2025 को थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर बनखण्डी चौराहा से अभियुक्त रोहिद उर्फ अच्छन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 550 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रोहिद उर्फ अच्छन निवासी ग्राम ढकनी थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–550 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना विजयगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना विजयगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कोमल 2–राजाराम 3–अमरसिंह 4–ठाकुरदास 5–संतोष 6–बॉबी 7–हरपाल उर्फ ब्रम्हादेव 8–अजय कुमार को आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सादिक अली को आजीवन सश्रम कारावास व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 302/201/34/120 बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 2–नन्हे को आजीवन सश्रम कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 3–रियाज 4–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना उसका बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना उसका बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 365/323/376(3) भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रभूषण को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————